2026/130

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

कृष्ण कुमार बनाम लिछमण

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 29 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.02.2026	प्रार्थी कृष्ण कुमार की तरफ से वकील श्री टिकुंराम सुडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 4 आरपीएम के प.नं. 176/27(13) कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24/2, 25/2, प.नं. 176/35(12) कि. नं. 1, 2, 3, 8 ता 13, 19, 20, 21/1, 22/2 की कुल 5.719 है0 में से अप्रार्थी लिछमण अपने नाम दर्ज 53/448 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 19.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
26.2.2026	वकील प्रार्थना-पत्र सिखाल पेश करते पत्रावली को पेशी से लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी ने राजीनामा होने अतः आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौकूदा हैसियत में आदेश करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र मौकूदा हैसियत में आदेश किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर